न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

प्रसीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 06/2020
CMS NO. : 2020/00003

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. रामरख पुत्र जसाराम 2. मंगलाराम पुत्र जसाराम 3. ओमप्रकाश पुत्र जसाराम 4. गंगाराम पुत्र जसाराम 5. कमलादेवी पुत्री जसाराम 6. गैरकी पत्नी जसाराम 7. रामनिवास पुत्र बुधाराम 8. ओमप्रकाश पुत्र बुधाराम 9. दिनेश कुमार पुत्र बुधाराम 10. रुघनाथ पुत्र पेमाराम 11. गोविन्दलाल पुत्र पेमाराम 12. लाबू पुत्र भोमा 13. रामसुख पुत्र माधू 14. रामदीन पुत्र माधू 15. गुदड़राम पुत्र माधू जातियान माली निवासी बांझाकुड़ी तहसील जैतारण जिला पाली।		1. शोभाराम पुत्र किशनाराम 2. अमराराम पुत्र लाबूराम 3. जयराम पुत्र लाबूराम 4. खीयाराम पुत्र लाबूराम 5. छोटूराम पुत्र लाबूराम जाति जाट निवासी बांझाकुड़ी तहसील जैतारण जिला पाली। 6. तहसीलदार जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 17/01/2020

उपस्थित:– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, श्री अरूणसिंह राठौड़, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 30/08/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा ग्राम बांझाकुड़ी पटवार हल्का बांझाकुड़ी में प्रार्थीगण की शामलाति खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 835 रकबा 41–04 बीघा की भूमि आई हुई है। जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि है एवं मौके पर प्रार्थीगण की अपने पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त व हक अधिकार भी है। नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रैस की प्रति इस कार्यवाही के साथ पेश है। राजस्व मौजा ग्राम बांझाकुड़ी पटवार हल्का बांझाकुड़ी में अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 573 रकबा 07.–04 बीघा आई हुई है। नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रैस की प्रति इस कार्यवाही के साथ पेश है। प्रार्थीगण मौके पर अपनी खातेदारी शुदा भूमि पर ही काबिज है। तथा अपनी हक हिस्से की भूमि में काश्त करते चले आ रहे है परन्तु अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

नकी कृषि भूमियां भी पास में आई हुई है। जो कभी माठ को लेकर एवं कभी खन्दक लेकर आये दिन विवाद करते है। एवं माठो पर उगी हुई झाड़ियो व बबूल के पेड़ो को टने को लेकर भी आये दिन विवाद करते है। इसलिए प्रार्थीगण के पास प्रार्थना पत्र में र्णत आराजी का मोके पर सीमाज्ञान करवाकर माठे कायम करवाने एवं पत्थरगढी करवाने अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरुद्ध प्रार्थीगण के पेश है। इस भूमि के बाबत् प्रार्थीगण ने पूर्व में हल्का पटवारी से पैमाईश तू निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने बांझाकुड़ी ने प्रार्थीगण से कहा कि सम्पूर्ण खसरा म्बरान की जमीन के खातेदारो के सहमत होने पर ही सीमाज्ञान किया जा सकता है। ब प्रार्थीगण ने तहसीलदार जैतारण के समक्ष दिनांक 10.11.2019 को प्रार्थना पत्र पेश केया परन्तु आज दिन तक किसी प्रकार से कोई प्रकार से कोई कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा नही की गई हे। जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशनियो का सामना करना पड़ रहा है। एवं अड़ौस पड़ौस के खातेदार व अप्रार्थीगण भी सही व उचित सीमाज्ञान के अभाव में प्रार्थीगण से विवाद कर रहे है। जबकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार सीमाज्ञान करवाकर मौके पर पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने के अधिकारी है। कारंण कि अप्रार्थीगण जानबुझकरं प्रार्थीगण की भूमि को हड़प करने की नियत से आये दिन वाद विवाद व दखलंदाजी कर सीमा विवाद करते है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की मेड़बंदी को हटाकर सीमा विवाद करेंगे एवं मोके पर पत्थरगढी नही करने देंगे तो प्रार्थीगण को अपनी आराजी में काश्त करने में कठिनाईयां एवं दिक्कते होगी। इस प्रकार से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र मौके पर सीमाज्ञान, पत्थरगढी, माठ कायम कराने का श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से श्रीमान के समक्ष बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर 835 की भूमि मौजा बांझाकुड़ी में होने के तथ्यो को प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित अनुसार खसरा संख्या 573 की भूमि जवाब देहन्दागण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। जिसके चारो तरफ वर्षो पूर्व माफिक राजस्व रेकर्ड स्थिति अनुसार नाप चौप करवाने के उपरान्त मौके पर जोधपुर के कातले रोपकर तारबंदी व जाली करवायी है इस प्रकार से मौके पर इस भूमि के नाप चौप बंटवाड़ा व सीमाज्ञान को लेकर कोई विवाद शेष नही रहा है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर सेटलमेंट के समय से नाप चौप उपरान्त मुड डा गड्डी की हुई है। जिसमें अप्रार्थीगण ने [illegible] छेड़छाड़ नही की है। इस प्रकार से दोनो भूमियो के बीच पूर्व में मिट्टी की [illegible] थी [illegible] वर्तमान में तारबंदी की हुई है। इस प्रकार से इस पद में जवाबदेहन्दा पर नाप चौप को लेकर विवाद करने एवं झाड़िया काटने को लेकर ऐतराज करने के झूठे आरोप लगा[illegible] है जो अस्वीकार है। इस प्रकार से इन भूमियो का पूर्व में ही नाप चौप होकर माठ कायम की हुई है तो नये सिरे से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:00 IST
Reason: SelfAttested

...उपखण्ड अधिकारी एवं
...दंन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

माज्ञान किए जाने की कोई आवश्यकता नही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद सत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत होने अस्वीकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अलग है जिसकी पैमाईश करवाये जाने में प्रार्थीगण की सहमति की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण स्वयं न अपनी खातेदारी भूमि की कोई पैमाईश नही करवायी है। केवल कपोल कल्पित आधार तैयार करते हुए अदालत श्रीमान के समक्ष यह कार्यवाही पेश की है जो प्रिमिच्योर है। दिनांक 10.11. 2019 को नाप चौप बाबत् तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देने के कथन भी यह कार्यवाही पेश करने की गरज से झूठे लिखे है। जवाब देहन्दागण की भूमि मौके पर अलग है। इस प्रकार से मौके पर इस भूमि के नाप चौप बंट्याड़ा व सीमाज्ञान को लेकर कोई विवाद नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण पर मेड़बंदी हटाने व विवाद करने से संबंधित झूठे आरोप लगाये है। इस प्रकार से जवाब देहन्दा खीयाराम व अन्य एवं अप्रार्थीगण रामरख वगैरह के बीच इस भूमि को लेकर कोई विवाद नही होने से जवाब देहन्दा की सीमा तक उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण संख्या 06 तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि राजस्व ग्राम बांझाकुड़ी के खसरा संख्या 835 रकबा 6.6692 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है। राजस्व ग्राम बांझाकुडी के खसरा संख्या 573 रकबा 1.1655 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 की खातेदारी भूमि है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 व 4 प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 व 6 माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

1. प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी राजस्व ग्राम बांजाकुडी पटवार हल्का बांजाकुडी में स्थित खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 835 रकबा 41-04 बीघा की पैतृक भूमि आई हुई है। प्रार्थी की भूमि के पास ही अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 573 रकबा 07-04 बीघा आई हुई है। अप्रार्थीगण कभी माठ, कभी माठ पर उगी हुई झाड़ियो एवं बबूल के पेड़ो को काटने को लेकर तथा कभी खन्दक को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है। इसलिए वादग्रस्त आराजी का मौके पर सीमाज्ञान करवाकर माठे कायम कर पत्थरगढी किया जावे।
2. अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 573 की भूमि जवाब देहन्दागण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है, जिसके चारो तरफ वर्षो पूर्व माफिक राजस्व रेकर्ड स्थिति अनुसार नाप चौप करवाने के उपरान्त मौके पर जोधपुर के कातले रोपकर तारबंदी व जाली करवायी है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर सेटलमेंट के समय से नाप चौप उपरान्त मुड[illegible] है। जिसमें अप्रार्थीगण ने कोई छेड़छाड़ नही की है। इस प्रकार से दोनो भूमियो के मध्य पूर्व में मिट्टी की पाल थी जहां पर वर्तमान में तारबंदी की हुई है। इस प्रकार से [illegible]न भूमियो का पूर्व में ही नाप चौप होकर माठ कायम की हुई है तो नये सिरे से सीमाज्ञान किए जाने की कोई आवश्यकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:00 IST
Reason: SelfAttested

... अधिकारी एव
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अलग है जिसकी पैमाईश करवाये जाने में अप्रार्थीगण की सहमति की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण स्वयं ने अपनी खातेदारी भूमि की कोई पैमाईश नही करवायी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण पर मेड़बंदी हटाने व विवाद करने से संबंधित झूठे आरोप लगाये है। इस प्रकार से जवाब देहन्दा खीयाराम व अन्य एवं अप्रार्थीगण रामरख वगैरह के बीच इस भूमि को लेकर कोई विवाद नही होने से जवाब देहन्दा की सीमा तक उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

3. तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम बांजाकुड़ी के खसरा संख्या 835 रकबा 6.6692 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। राजस्व ग्राम बांजाकुड़ी के खसरा संख्या 573 रकबा 1.1655 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 की खातेदारी भूमि है।

4. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबंदी एवं खसरा नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 835 रकबा 6.6692 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण तथा खसरा संख्या 573 रकबा 1.1655 हैक्टर में अप्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज है तथा दोनो खसरान् की भूमियां भू नक्शा मे पृथक पृथक तरमीमशुदा है तथा दोनो खसरान् की भूमि की सीमा परस्पर मिलती है। उभयपक्ष के मध्य आराजीयात् की वास्तविक सीमा को लेकर विवाद की स्थिति में ऐसे विवादो का समाधान सीमाज्ञान एवं सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न रोपित करवाकर ही करवाया जा सकता है। चूंकि उपर्युक्त खसरान् की आराजी भू नक्शा में तरमीमशुदा है तथा जमाबंदी में सभी खसरान् का कुल रकबा अंकित है। खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादो का समाधान मोके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है ताकि काश्तकारो के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 835 एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 573 की आराजी का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम–बांजाकुड़ी पटवार हल्का बांजाकुड़ी तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 835 रकबा 6.6692 हैक्टर एवं अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 573 रकबा 1.1655 हैक्टर के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शे मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

पित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर परस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:30:00 IST
Reason: SelfAttested